न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या वाद पत्र - 10/2020

अनवान

1. इस्माईल खां पिता करीम खां जाति मुसलमान उम्र 65 वर्श पेशा बेरोजगार निवासी गांधीसागर नं0 08 तहसील भानपुरा जिला मंदसौर म0प्र0। जरिये मोहम्मद हुसैन पिता साहाबुद्दीन मंसूरी जाति मुसलमान पेषा काश्त निवासी गांधीसागर नं0 08 तहसील भानपुरा जिला मंदसौर म0प्र0। मुख्तार आम

वादी

बनाम

1. श्रीमान जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - 1. श्री आजाद हुसैन अभिभाषक वादी।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 06.12.2022

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत आदेश 07 नियम 1 व 2 जा.दी.प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र दिनांक 01.12.2020 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नं0 464 रकबा 1.08 हेक्टर लगान 3 रू 75 पैसा जमाबंदी सम्वत 2057-60 मोजा कुंआखेडा की खतोनी संख्या 109 में खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड थी। नवीन सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त वर्णित आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज कर नवीन खसरा नं0 902, 903 दिया गया जिसमें से रकबा 1.08 हेक्टर पर वादी का आज तक कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है, उपरोक्त आराजी बिलानाम दर्ज होने के बाद तहसीलदार रावतभाटा वादी के खिलाफ धारा 91 ले0रे0 एक्ट के तहत मुकदमें दर्ज किये जाते रहे और वादी के खिलाफ जुर्माने होते रहे वादी नियमानुसार तहसीलदार साहब द्वारा किये गये जुर्माने की राशि अदा करता रहा है आज तक भी वादी करीब 40 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है वादी को कब्जा देते समय जिस स्थान पर बैठाया गया था उसी स्थान पर लगातार काश्त करता चला आ रहा है, नवीन सेटलमेन्ट के पूर्व वादी को कभी भी नाजाईज काबिज मान कर कोई नोटिस नहीं दिया गया। तत्कालीन पटवारी द्वारा कब्जा देते समय नक्शे में कोई तरमीम नहीं की गई और इन्तकाल पर भी कोई नक्शा चस्पा नहीं किया गया। इस कारण मोजा कुआखेड़ा के नक्शे में वादी की कब्जे काश्त की जमीन का कोई इन्द्राज नहीं है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अमीनो ने राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं होना बताते हुए वादी की खातेदारी जमीन को बिलानाम दर्ज कर दिया है, नक्शे में तरमीम नहीं होने की वजह से वादी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है, वादी एक अशिक्षित वृद्ध व्यक्ति है, और उसे राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कभी जानकारी नहीं रही है, वादी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 464 में थी और अब सेटलमेन्ट में वादी का नवीन सेटलमेन्ट के मिलान क्षेत्रफल में वादी के कब्जे की भूमि को खसरा नं0 463 में दिखा दिया गया है, जो वादी के कब्जे की जमीन के पड़ोस में स्थित है। वादी नवीन खसरा नं0 902 व 903 का बोनाफाईड खातेदार होकर काश्त करता आ रहा है राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी का कब्जा पुराने नक्शे में तरमीम नहीं किया गया और वक्त सेटलमेन्ट भी वादी का कब्जा खसरा नं0 464 में जानबूझ कर लापरवाही से काम करते हुए नहीं दिखाया गया है, जिसके लिये वादी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा आज भी खसरा नं0 902 व 903 पर वादी का अवैध कब्जा मानते हुए धारा 91 ले0 रे0 एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है, यह इस बात का प्रमाण है, कि वादी आवंटन के समय से ही इसी स्थान पर काबिज चला आ रहा है इसी आधार

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पर और पुरानी खातेदारी के आधार पर वादी विवादित भूमि खसरा नं0 902 व 903 का खातेदार काश्तकार घोशित कराने का हकदार है, और तहसीलदार रावतभाटा के विरूद्ध भी स्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। वादी एक कमजोर व्यक्ति है, और अपने निवास स्थान से दूर होने के कारण हमेशा खेतों पर जाकर देखरेख नहीं कर सकता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने और वृद्धावस्था होने के कारण इस जमीन की देखरेख करने काश्त कराने और मुकदमा लड़ने के लिये मुख्तार आम मोहम्मद हुसैन पिता साहाबुद्दीन को मुकर्रर कर रखा है और मोहम्मद हुसैन स्वयं व उसके पुत्र इकबाल हुसैन द्वारा काश्त कराता आ रहा है, उसी मुख्तार नामा आम के तहत दिये गये अधिकार के आधार पर मोहम्मद हुसैन द्वारा वादी की ओर से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद हेतु सम्वत 2002 में उत्पन्न हुआ जब वादी का नाम जमाबंदी से हटा कर वादी की जमीन को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया। उसके बाद जब जब भी वादी को तहसीलदार साहब द्वारा धारा 91 ले0रे0 एक्ट का नोटिस तामील कराया गया। वाद हेतु उत्पन्न हुआ। वाद पत्र खातेदारी की घोशणा कराने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कोई मयाद मुकर्रर नहीं है। विवादित भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से दावा न्यायालय श्रीमान में वास्ते समायत पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने वाद पत्र मे दिनांक 15.02.2022 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कुआंखेडा की आराजी संख्या 902 कुल किता 01 रकबा 0.68 है0 एवं आराजी संख्या 903 रकबा 1.24 है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी संख्या 902 रकबा 0.46 है0 व आराजी संख्या 903 रकबा 1.24है0 भूमि पर ईस्माईल पिता करीम खान निवासी गांधीसागर का कब्जा होकर चारो तरफ कच्ची पत्थर की बाउंड्रीवाल बनी हुई है वर्तमान में फसल गेहूं की काश्त कर रखी है।

हमने वादपत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी 464 रकबा 1.08है0 सम्वत 2057-60 की जमाबन्दी की खतोनी संख्या 109 में वादी के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी । सेटलमेन्ट के दौरान खाता संख्या 464 को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया और नवीन खसरा संख्या 902, 903 पर वादी यथावत काबिज होकर काश्त कर रहा है जिस पर वादी के खिलाफ धारा 91 रा.ले.ए. के तहत कार्यवाहियां हुई है। आवंटन के बाद नक्शे में पटवारी हल्का द्वारा कोई तरमीम नही की गई है और इन्तकाल पर भी नक्शा ट्रेस चस्पा नही किया गया है। नवीन सेटलमेन्ट में वादी को पुरानी खाता संख्या 464 को पुराने खसरा संख्या 463 में दिखा दिया है। अंत में वादी ने निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी संख्या 902, 903 रकबा 1.08 है0 भूमि को वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज करने की घोषणा फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रकरण में कायम वाद बिन्दू उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

- तनकी नं. 1 **<u>आया वादी मोजा कुआंखेडा की खतौनी संख्या 109 में दर्ज आराजी सं.464 रकबा 1.08 है0 वादी के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी।</u>** उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि साबिक आराजी संख्या 464 रकबा 1.08 हे0 भूमि वादी के नाम आंवटित हुई एवं भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया गया। विवादित भूमि पर आवंटित दिनांक से निरन्तर काबिज होने से उक्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। कथन की पुष्टि में वादी ने ग्राम कुआंखेडा की जमाबन्दी संवत 2057-60 की नकल प्रदर्श-1 प्रस्तुत की जिसमें उक्त विवादित आराजीयात वादी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड थी। तनकी नं. 1 वादी के हक में निर्णित की जाती है।
- तनकी नं. 2 **<u>आया वादी सेटलमेन्ट के दौरान खसरा संख्या 464 को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है और नवीन खसरा संख्या 902, 903 पर वादी यथावत काबिज होकर काश्त कर रहा है जिस पर वादी के खिलाफ धारा 91 रा.ले.रे.ए. के तहत कार्यवाहिया हुइ है।</u>** उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अमीनों ने राजस्व रिकार्ड में तरमीम नही होना बताते हुए वादी की खातेदारी भूमि को बिलानाम दर्ज कर दिया है, नक्शें में तरमीम नही होने की वजह से वादी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। वादी एक अशिक्षित वृद्ध व्यक्ति है और उसे राजस्व रिकार्ड के बारे में कभी जानकारी नही रही है। नवीन खसरा संख्या 902, 903 पर वादी आवंटन के समय से आज दिनांक तक काबिज होकर काश्त कर रहा है। कथन की पुष्टि में वादी ने ग्राम कुआंखेडा

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

की सम्वत 2070-73 की जमाबन्दी प्रदर्श-2 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा संख्या 903 को बिलानाम सरकार दर्ज किया गया है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस प्रस्तुत किया है जो ग्राम कुआंखेडा की आरजी संख्या 903 रकबा 1.24 है0 भूमि का तहसीलदार रावतभाटा द्वारा जारी किया गया है। तनकी नं. 2 वादी के हक में निर्णित की जाती है।

- तनकी नं. 3 **आया वादी आवंटन के बाद नक्शें में पटवारी हल्का द्वारा कोई तरमीम नही की गई है और इन्तकाल पर भी नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं किया गया है नवीन सेटलमेंट में वादी को पुरानी खाता संख्या 464 को पुराने खसरा संख्या 463 में दिखा दिया गया है।** उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अमीनों ने राजस्व रिकार्ड में तरमीम नहीं होना बताया किन्तु वादी को आवंटन के बाद नक्शें में पटवारी हल्का द्वारा कोई तरमीम नहीं की गई और इन्तकाल पर भी नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं किया गया है इसमें वादी किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। वादी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 464 में थी और अब सेटलमेन्ट में वादी का नवीन सेटलमेन्ट के मिलान क्षेत्रफल में वादी के कब्जे की भूमि को खसरा संख्या 463 में दिखा दिया गया है जो वादी के कब्जे की जमीन के पडोस में स्थित है। कथन की पुष्टि के लिए वादी ने ग्राम कुंआखेडा का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा संख्या 463 में नवीन खसरा संख्या 902 व 903 होना प्रमाणित है। तनकी नं. 3 वादी के हक में निर्णित की जाती है।
- तनकी नं. 4 **आया वादी खसरा संख्या 902 व 903 (नवीन) का अपनी खातेदारी हक से दर्ज करा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।** उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था वादी का कथन है कि वादी को आवंटित हुई भूमि पर आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी को आंवटित भूमि खसरा संख्या 464 है जिसका नवीन नम्बर 902, 903 है। कथन की पुष्टि के लिए वादी ने भू.अ.नि. वृत जावदा का पर्चा मौका ग्राम कुआंखेडा का दिनांक 10.06.2016 का प्रस्तुत किया है जिसमें वादी कब्जा काश्त आराजी संख्या 902 व 903 पर होना दिखाया गया है। तनकी नं. 4 वादी के हक में निर्णित की जाती है।
- तनकी नं. 5 **आया वादी पुराने और नये नम्बरों का नवीन सेटलमेन्ट में मिलान क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है।** उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी पेरोकार सरकार का कथन है कि वादी को आंवटित आराजी संख्या 464 थी जबकि वर्तमान में वादी नवीन खसरा संख्या 902 व 903 पर काबिज है जो कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार आराजी संख्या 463मी. से बने है। तनकी नं. 5 को प्रतिवादी पेरोकार सरकार साबित कराने में विफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने जिम्मे के वाद बिन्दू संख्या 1 से 4 साबित करा पाने मे सफल रहने से वादी ग्राम कुआंखेडा की आराजी संख्या 903 रकबा 1.08 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है।

अनुतोष

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुआंखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ की आराजी संख्या 903 रकबा 1.24 है0 में से रकबा 1.08 है0 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि को वादी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को सुनाया गया। निर्णयानुसार **डिक्री जारी की जावें।**

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(कैलाश चन्द गुर्जर)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़